

भाषा और बोली में अन्तर -

भाषा और बोली के इस सैद्धान्तिक भेद को स्वीकार कर लेने पर उनके बीच स्पष्ट विभाजन रखा जाना बहुत कठिन है। वस्तुतः ये केवल नाम हैं जो शास्त्रीय विवेचन के लिए आवश्यक हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा और विभाषा (बोली) व्यावहारिक से अधिक सैद्धान्तिक नाम हैं। जब बोली ही किसी कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो भाषा कहलाने लगती है। इसलिए भाषा और बोली का अन्तर प्रकृत का नहीं केवल मात्रा का है। कब कली फूल बन जाती है, कब शैशव जीवन में परिणत हो जाता है, यह कहना कठिन है।

(1) भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित, अर्थात् भाषा का व्यवहार अधिक दूर तक होता है और बोली का अपेक्षाकृत कम दूर तक। अतः एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियाँ होती हैं किन्तु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएँ नहीं हो सकती।

(2) एक भाषा की विभिन्न बोलियाँ बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं, किन्तु विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले एक-दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में

उसे यो कहे कि किसी भाषा की विभिन्न बोलियों में परस्पर वीधगम्यता रहती है, किन्तु विभिन्न भाषाओं में नहीं। उदाहरणार्थ, खड़ी बोली में 'जाता है' बोलने वाला वृजभाषा का 'जात है' अनायास समझ लेगा, किन्तु अंग्रेजी का 'आई गो' नहीं समझ सकता। इसलिए खड़ी बोली और वृजभाषा हिन्दी की बोलियाँ हुई, पर हिन्दी और अंग्रेजी दो भाषाएँ।

(3) भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन आदिक रचना आदि के लिए होता है किन्तु बोली का दैनिक व्यवहार के लिए। यह स्थिति स्थूल दृष्टि से ही ब्राह्म है, अन्यथा प्रतिभा के धनी कभी-कभी बोलियों में भी ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ उपस्थित कर देते हैं जो विस्मयजनक बन जाती हैं। उदाहरणार्थ मैथिली में रचे विद्यापति के यह या अब्धी में रचित तुलसीदास का 'रामचरितमानस'। ये दोनों रचनाएँ बोलियों की हीकर भी किसी साहित्यिक, परिनिष्ठ भाषा की रचनाओं के समकक्ष रखी जा सकती हैं।

जैसा पहले कहा गया है, भाषा और बोली में कोई तात्विक अन्तर नहीं है। बोली ही अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर भाषा बन जाती है। भाषा किसी देश की राजधानी के शिक्षित और उच्चवर्ग के लोगों की बोली

हुआ करती है। किसी देश के जीवन में राजधानी का महत्व स्वयंसिद्ध है। राजधानी शासन का ही केन्द्र नहीं होती, बल्कि शिक्षा, न्याय, वाणिज्य, आभिजात्य और वैभव का भी केन्द्र होती है। स्वभावतः वह समस्त देश के लिए अनुकरणीय बन जाती है। खान-पान, रहन-सहन में ही नहीं, भाषा में भी उसका अनुकरण होने लगता है। यह अनुकरण केवल अनुकरण की भावना से ही प्रेरित नहीं होता, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकताओं से भी नियोजित होता है। राजधानी से हर तरह का सम्पर्क रखना होता है और वह सम्पर्क वहाँ की भाषा में ही सुगमता से सम्भव है। इसीलिए राजधानी की भाषा दूर-दूर तक फैल जाती है।

यह बात कई बार सामने आयी है कि भाषा की उत्पत्ति व्यक्ति में होती है। फिर भी, भाषा केवल व्यक्ति-सापेक्ष नहीं है, उसका सम्बन्ध समुदाय या समाज से भी है।

रमेश कुमार यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर
हिन्दी - विभाग
डी.के. कॉलेज, बुधरौंव
बक्सर बिहार)